

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर (राजस्थान)

-:: आदेश ::-

क्रमांक: रिमाण्ड/2026/20

दिनांक:- 27-10-2026

मैं डॉ. विमल व्यास, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह नवम्बर, 2026 में राजकीय अवकाशों/अन्य अवकाशों में जालोर न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालयों के न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा, जमानत संबंधित, प्रोटेक्टॉल व अन्य आवश्यक कार्य करने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट को अधिकृत करता हूँ, लेकिन संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मुख्यालय पर है तो प्रथमतः रिमाण्ड उन्हीं के द्वारा दिया जायेगा और पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय पर नहीं होने पर रिमाण्ड उस न्यायालय के लिंक अधिकारी यदि मुख्यालय पर है तो उनके द्वारा दिया जायेगा। यदि उपर्युक्त दोनों ही अधिकारी मुख्यालय पर उपस्थित नहीं है तो इस आदेश द्वारा नियुक्त रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा रिमाण्ड दिया जायेगा:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम व पद	मोबाईल नंबर	अवधि
1	श्री राजेन्द्रसिंह चारण अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.1, जालोर	9428548797	01-11-2026 (संपूर्ण जालोर न्यायक्षेत्र हेतु)
2	श्रीमती दिव्या गोदारा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.2, जालोर	7597700816	07-11-2026, 08-11-2026 (संपूर्ण जालोर न्यायक्षेत्र हेतु)
3	श्रीमती श्वेता परमार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल	9571867878	09-10-2026, 10-11-2026 (संपूर्ण जालोर न्यायक्षेत्र हेतु)
4	श्री पीयूष कुमार मेडतिया न्यायिक मजिस्ट्रेट, आहोर	7792006816	11-11-2026, 12-11-2026, 13-11-2026 (संपूर्ण जालोर न्यायक्षेत्र हेतु)
5	श्रीमती रेखा चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जालोर	7073493835	14-11-2026, 15-11-2026 (संपूर्ण जालोर न्यायक्षेत्र हेतु)
6	साक्षी शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट, रानीवाडा	9079940742	22-11-2026, 24-11-2026 (संपूर्ण जालोर न्यायक्षेत्र हेतु)
7	श्री मदनसिंह चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल	9602181946	29-11-2026 (संपूर्ण जालोर न्यायक्षेत्र हेतु)

नोट:-1. उक्त दिवस में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट बिना अनुमति मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे एवं रिमाण्ड ड्यूटी के संबंध में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जालोर के कार्यालय आदेश संख्या स्था./2026/84 दिनांक 14.05.2026 की पालना सुनिश्चित की जावे।

2. किसी भी अवकाश दिवस के तुरंत पूर्व/पश्चात् कार्य दिवस के दिन यदि किन्हीं कारणों से अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में उस घोषित अवकाश दिवस हेतु ड्यूटी, उससे तुरंत पूर्व/पश्चात् अवकाश दिवस के लिये अधिकृत ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा ही निर्वहन की जावेगी एवं किसी अवकाश के दिवस को कार्यदिवस घोषित किया जाता है तो उक्त अवकाश दिवस की रिमाण्ड ड्यूटी स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

3. यदि किसी अभियुक्त को, जिसे विशेष अधिनियम (Sc/St Cases & Posco Act Cases) के तहत गिरफ्तार किया गया हो और मुख्यालय पर संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपलब्ध नहीं होने एवं उनके न्यायालय के लिंक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (जिला न्यायाधीश संवर्ग के न्यायाधीश) के भी उपलब्ध न होने की स्थिति में अवकाशकालीन ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अभियुक्त की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

4. इस माह में दिनांक 01.11.2026 से 15.11.2026 तक श्री मदनसिंह चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीनमाल व दिनांक 16.11.2026 से दिनांक 30.11.2026 तक श्री नवीन यादव, न्यायिक मजिस्ट्रेट सांचौर को विकल्प के रूप में आवश्यकतानुसार जरूरत पड़ने पर रिमाण्ड ड्यूटी हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

5. दिनांक 07.11.2026 से दिनांक 15.11.2026 के नियमित अवकाश के दौरान जब तक पश्चातवर्ती रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हो जावे तब तक पूर्ववर्ती रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट मुख्यालय परित्याग नहीं करेंगे।

SD

(डॉ. विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालोर (राज.)

दिनांक :- 27-10-2026

क्रमांक :- 1185-1210

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जालोर को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि उपरोक्तानुसार अवकाश के दिन आवश्यक फौजदारी कार्य हेतु अधिकृत अधिकारीगण में से किसी अधिकारी को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की गई हो तो उसे निरस्त करने की कृपा करावे।
- श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम प्रकरण न्यायालय, जालोर।
- श्रीमान विशिष्ट न्यायाधीश, अनु.जाति/जन जाति (अत्या.निवा.) अधिनियम, जालोर।
- श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर/भीनमाल/सांचौर।
- जिला पुलिस अधीक्षक, जालोर वास्ते सूचनार्थ समस्त पुलिस थानाधिकारी।
- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1/2 जालोर/भीनमाल/सांचौर।
- न्यायिक मजिस्ट्रेट जालोर/आहोर/भीनमाल/रानीवाडा/सांचौर।
- न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सांचौर।
- प्रोटोकॉल ऑफिसर, सहप्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय, जालोर
- सिस्टम सहायक को वास्ते वेबपेज पर अपलोड करने हेतु
- उपाधीक्षक, जिला कारागृह, जालोर को वास्ते सूचित करने जालोर के कारागृह
- सहायक निदेशक, अभियोजन, जालोर।
- अध्यक्ष, बार संघ जालोर/आहोर/भीनमाल/रानीवाडा/सांचौर।
- कार्यालय पत्रावली।

(डॉ. विमल व्यास)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जालोर (राज.)